कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-374/2023 दिनांक- 23.11.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस झंडा दिवस

आज दिनांक- 23.11.2023 को झंडा दिवस के मौके पर पुलिस लाइन आजमगढ़ के क्वार्टर गार्द में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरूण कुमार दीक्षित द्वारा झंडारोहण कर, अपनी वर्दी पर झंडे का स्टीकर लगाया गया। वहीं, पुलिस कर्मियों को झंडा दिवस के महत्व तथा पुलिस मुख्यालय के संदेश को अवगत कराते हुए शुभकामनाए दी गयी।

आजमगढ़ पुलिस लाइन में झंडारोहण के दौरान एसपी ग्रामीण ने कहा कि झंडे का सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस दिन का विशेष महत्व यूपी पुलिस के इतिहास में 23 नवम्बर का दिन विशेष महत्व रखता है। पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 के संदेश को पुलिस कर्मियों को अवगत कराया गया।

➡जिसमें मा0 मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश भर में आपरेशन कन्विक्शन के तहत जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में कठोर सजा दिलायी जा रही है।

➡ सेफ सिटी परियोजना को मूर्तरूप देने के लिए प्रदेश भर में ऑपरेशन त्रिनेत्र प्रारम्भ किया गया। प्रदेश की महिलाओं, बालिकाओं, बुजुर्गों, बच्चो एवं दिव्यांगजनों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण चौराहों, संवेदनशील स्थानों, बैंक, स्कूल, कालेज, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, होटल आदि स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे अधिष्ठापन की कार्यवाही की जा रही है। जिससे सार्थक परिणाम प्राप्त हो रहें है। सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापन से अपराधों में कमी होगी साथ ही अपराधों के शीघ्र अनावरण में मदद होगी।

➡ मा0 मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत एण्टी रोमियो स्क्वॉड को और सक्रिय करते हुए प्रत्येक थाने पर महिला बीट अधिकारी व परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों पर महिला साइबर क्राइम हेल्पडेस्क स्थापित किये गये है। प्रत्येक जनपद में महिला थाना के अतिरिक्त एक अन्य थाने पर महिला थाना प्रभारी की नियुक्ति की गयी है।

➡ प्रदेश के महत्वपूर्म प्रतिष्ठानों आदि की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था हेतु उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल SSF, दैवीय तथा अन्य आपदाओं में राहत पहुचाने के लिए राज्य आपदा मोचन बल SDRF, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु एण्टी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स ANTF के गठन के साथ-साथ भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में भ्रष्टाचार निवारण संगठन ACO की शाखाये क्रियाशील है।

➡ वर्तमान में 18 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम थानों की स्थापना की गयी है एवं 57 जनपदीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम थानों की स्थापना से सम्बन्धित कार्यवाही प्रचलित है। साइबर जागरूकता कैम्पेन व प्रशिक्षण कार्यक्रम को विभिन्न चरणों में चलाया जा रहा है। विवेचनाओं की गुणवत्ता में वृद्धि लाने एवं आधुनिकतम तकनीक से दक्ष वैज्ञानिकों को तैयार करने के उद्धेश्य से उ0प्र0 राज्य फॉरेन्सिक विज्ञान संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गयी है।

➡ यूपी 112 की सेवा के माध्यम से पुलिस की गतिशीलता, रिस्पांस टाईम में सुधार तथा फुट पेट्रोलिंग के जरिये पुलिस की बढ़ती विजिबिलिटी ने अपराध नियंत्रण के साथ ही जनसंवाद को बढ़ाया है। यूपी 112 सेवा में वीमेन पावर लाइन 1090, जीआरपी, फायर सर्विस, महिला हेल्पलाइन 181 सेवा, एम्बुलेंस सेवा 108 व उ0प्र0 राज्य परिवहन हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है।

➡ निष्पक्ष कार्य करने की स्वतंत्रता एवं संस्थागत सुधारों ने पुलिस के मनोबल में अभूतपूर्व वृद्धि की है। इन सब उपायों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में समस्त जघन्य अपराधों की अपराध दर में उल्लेखनीय कमी आयी है।

➡ उपरोक्त कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, सीओ सिटी गौरव शर्मा, प्रतिसार निरीक्षक व अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजुद रहें।

थाना- कोतवाली

अन्तर्जनपदीय शातिर अपराधी चोरी गये रूपये व अवैध असलहा कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास– दिनांक 11/11/2023 को राजेश यादव पुत्र स्वर्गीय अछैवर यादव निवासी ग्राम उकरोड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 645/2023 धारा 457/380 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत कराया गया जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि वह ग्राम उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ के देशी शराब के ठेके में शराब विक्रेता का कार्य करता है दिनांक 11/11/2023 को सुबह जब वह दुकान खोला तो पता चला कि 10/11/2023 की रात मे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ठेके की दुकान का ताला तोड़कर नगदी एवं शराब की पेटी जो सब मिलाकर 18000 रुपये होता है ताला तोड़कर एवं सीसीटीवी का हार्ड डिस्क तोड़कर उठा ले गए, ताला बगल की खेत में फेंका पड़ा मिला। उस ताला तोड़कर पैसा व शराब चोरी किये जानें कि स्वीकारोक्ति गिरफ्तार किये गये अभियुक्त अरशद उर्फ इरशाद उर्फ फिरोज पुत्र हसनैन उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी ग्राम इस्लामपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक- 23.11.2023 को उपनिरीक्षक लाल बहादुर बिंद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित शातिर अपराधी अरशद उर्फ इरशाद उर्फ फिरोज पुत्र हसनैन उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी ग्राम इस्लामपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को अवैध तमंचा .315 बोर व एक जिंदा कारतूस .315 बोर तथा चोरी गये 1100 रुपए के साथ प्राईवेट बस के पास से समय 4.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि छोटी दिवाली से पहले दिनांक 10/11/2023 की रात्रि को उसनें उकरोड़ा बाजार के पास देसी शराब के ठेके से 12000 रूपया नगद व शराब की कुछ शीशी ताला तोड़कर चुरा लिए थे शराब के ठेके में कैमरा लगा हुआ था जिसका हार्ड डिस्क भी निकाल लिया था जिसे उसनें अपने को कैमरे से छुपाने के लिए हार्ड डिस्क को पटककर तोड़कर नदी में फेंक दिया था। चोरी की गयी कुछ शराब स्वयं पी गया कुछ शराब लोगो को बेच दिया और ज्यादातर पैसे खर्च हो गये। शेष 1100 रुपये जो बचे है उसकी बरामदगी की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 671/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- 1-अरशद उर्फ इरशाद उर्फ फिरोज पुत्र हसनैन निवासी ग्राम इस्लामपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़।

बरामदगी का विवरणः-

1- एक अदद देशी अवैध तमन्चा-315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व पूर्व में चोरी किया गया 1100 रुपये।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 671/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01	862/2007	3/25 आर्म्स एक्ट	मुबारकपुर	आजमगढ़
02	82/2003	25 आर्म्स एक्ट	मुबारकपुर	आजमगढ़
03	81/2003	8/21 एनडीपीएस एक्ट	मुबारकपुर	आजमगढ़
04	02/2006		जीआरपी	आजमगढ़
05	100/2021	8/21 एनडीपीएस एक्ट	जीआरपी	आजमगढ़
06	03/2018	411/414 भादवि	मुबारकपुर	आजमगढ़
07	02/2018	25 आर्म्स एक्ट	मुबारकपुर	आजमगढ़
08	105/2008		जीआरपी	मऊ
09	57/2004		जीआरपी	मऊ
10	2566/2010	8/12 एनडीपीएस एक्ट	सरायलखांसी	मऊ
11	849/2011	379/411 भादवि	दक्षिण टोला	मऊ
12	328/2013	8/21/22एनडीपीएस एक्ट	जीआरपी	मऊ
13	302/2013	379/411 भादवि	जीआरपी	मऊ
14	55/2012	8/21/22 एनडीपीएस एक्ट	जीआरपी	मऊ
15	36/2012	109/41 सीआरपीसी	जीआरपी	मऊ
16	1887/2011	109/41 सीआरपीसी	कोतवाली	मऊ
17	1076/2009	60 आबकारी अधि0 व 272 भादवि	कोतवाली	मऊ
18	956/2011	109/41 सीआरपीसी	कोतवाली	मऊ
19	1335/2016	60 आबकारी	कोतवाली	मऊ
20	1019/2015	379/511 भादवि	कोतवाली	मऊ
21	395/2018	379/411/427 भादवि	कोतवाली	मऊ
22	1313/08	4/25 आर्म्स एक्ट	मुबारकपुर	आजमगढ़
23	1125/2009	4/25 आर्म्स एक्ट	मुबारकपुर	आजमगढ़
24	12/2004		जीआरपी	मऊ

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द, उ0नि0 संजय तिवारी मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना – अहरौला

अवैध गांजा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनाँक 23.11.2023 को उ0नि0 अमित कुमार पाल मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मेहियापार तिराहे के पास से 02 अभियुक्त मो0 वसीम उर्फ कल्लू पुत्र फिरोज निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व सनविजय प्रजापति पुत्र रामअचल प्रजापति निवासी हांसापुर कला थाना अहरौला आजमगढ़ को 2 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा प्रत्येक से 1300 ग्राम के साथ समय 10.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 391/23 धारा 8/20 NDPS एक्ट बनाम मो0 वसीम उर्फ कल्लू पुत्र पुत्र फिरोज निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व मु0अ0सं0 392/23 धारा 8/20 NDPS एक्ट बनाम सनविजय प्रजापति पुत्र रामअचल प्रजापति निवासी हांसापुर कला थाना अहरौला आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-मो0 वसीम उर्फ कल्लू पुत्र फिरोज निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

2-सनविजय प्रजापति पुत्र रामअचल प्रजापति निवासी हांसापुर कला थाना अहरौला आजमगढ़

बरामदगी- 02 किलो 600 ग्राम प्रत्येक अभियुक्त से 1300 ग्राम

पंजीकृत अभियोगः- मु0अ0सं0 391/23 व मु0अ0सं0 392/23 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

1- मो0 वसीम उर्फ कल्लू पुत्र फिरोज निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़-

1. मु0अ0सं0 50/2018 धारा 380/458 भादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 74/2018 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 128/2019 धारा 5ए/8 गो0नि0अधि0 व 307 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 138/2016 धारा 379 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 214/2019 धारा 323/336/380/458 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 221/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0, 307/504 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

2- सनविजय प्रजापति पुत्र रामअचल प्रजापति निवासी हांसापुर कला थाना अहरौला आजमगढ़-

1. मु0अ0सं0 422/2022 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- मु0अ0सं0 391/23 से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 वसीम उर्फ कल्लू पुत्र पुत्र फिरोज निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष तथा मु0अ0सं0 392/23 से सम्बन्धित अभियुक्त सनविजय प्रजापति पुत्र रामअचल प्रजापति निवासी हांसापुर कला थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अमित कुमार पाल, का0 नीरज गौंड़, का0 मुकेश कुमार गुप्ता थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

थाना कन्धरापुर

हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 23.10.2023 समय 10.30 को वादी मुकदमा अश्वनी कुमार यादव पुत्र जितेन्द्र यादव सा0 खोजापुर माधोपट्टी थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ ने थाना कंधरापुर पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी 1. बुनेला पुत्र रंगू 2.उत्कर्ष पुत्र बुनेला उर्फ बुंदेला 3.अजय पुत्र बुनेला साकिनान खोजापुर माधोपट्टी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर एक राय होकर हंसिया से आवेदक पर जान से मारने की नियत से प्रहार किया था, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0स0 299/2023 धारा 307/323/506 भादवि बनाम 03 नफर पंजीकृत किया गया।

दिनांक- 23.10.2023 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. बुनेला पुत्र रंगू 2.उत्कर्ष पुत्र बुनेला उर्फ बुंदेला 3.अजय पुत्र बुनेला साकिनान खोजापुर माधोपट्टी थाना कंधरापुर आजमगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 23.11.2023 को उ0नि0 शंकर कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अजय पुत्र बुनेला निवासी माधोपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को उसके घर से आज दिनांक दिनांक 23.11.2023 को समय 11.40 बजे हिरासत में लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-अजय पुत्र बुनेला साकिनान खोजापुर माधोपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 299/2023 धारा 307/323/506 भादवि थाना कंधरापुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 शंकर कुमार यादव मय हमराह थाना कंधरापुर आजमगढ़

थाना- बरदह

जमीनी विवाद में दीवाल तोड़ने व मारपीट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार; पूर्व में 06 अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास– वादिनी मुकदमा कल्पा देवी पुत्री जयंत्री ग्राम - देहदुआर थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 22.08.23 को 1. रामसुधार चौहान 2. मदन मोहन 3. आद्याप्रसाद पुत्रगण स्व0 बनकट चौहान 4. रमावता पत्नी रामसुधार 5. कंसा पत्नी मदनमोहन 6. पवन चौहान पुत्र मदनमोहन 7. गौतम पुत्र आद्या चौहान 8. हीरामनी पत्नी आद्या चौहान व आद्या चौहान की तीन बहुँ व मदन मोहन की बहुँ नाम अज्ञात समस्त निवासीग्राम देहदुआर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा आवेदिका की ईट की दीवाल तोडकर उठा ले गये तथा मना करने पर गाली गलौज व मारपीट किये। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 347/23 धारा 327/427/323/504/506/34 भादवि बनाम 08 नफर पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 22/08/23 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.रामसुधार पुत्र बनकट 2.रमौता पत्नी रामसुधार 3. हीरामनी पत्नी आद्वाप्रसाद चौहान 4. कुसुम पत्नी पवन चौहान 5. सोनी पत्नी श्यामसुन्दर 6. बच्चा चौहान पुत्र मदन चौहान निवासीगण ग्राम देहदुआर थाना बरदह आजमगढ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक 23/11/23 को उ0नि0 कमला सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. गौतम चौहान पुत्र आद्या चौहान ग्राम देहदुआर थाना बरदह आजमगढ 2. नगीना चौहान पत्नी गौतम चौहान साकिन देहदुआर थाना बरदह आजमगढ़ को ग्राम भीरा से समय 10.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 347/23 धारा 327/427/323/504/506/34 भादवि थाना बरदह आजमगढ

आपराधिक इतिहास-गौतम चौहान

a. मु0अ0सं0 47/23 धारा 34/427/434/504/506 भादवि
b. मु0अ0सं0 347/23 धारा 327/427/323/504/506/34 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गौतम चौहान पुत्र आद्या चौहान ग्राम देहदुआर थाना बरदह आजमगढ
2. नगीना चौहान पत्नी गौतम चौहान साकिन देहदुआर थाना बरदह आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह थाना बरदह, आजमगढ़

थाना – अहरौला

किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना---- दिनांक 22.11.2023 को पीड़िता/वादिनी मुकदमा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दिया कि थाना अहरौला क्षेत्र के एक बाल अपचारी द्वारा किशोरी/पीड़िता शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया, जिससे एक लड़की पैदा हुयी है मुझे एक साल से महाराष्ट्र में रखा हुआ था, शादी करने से मना किया गया, पीड़िता/वादिनी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 390/23 धारा 376(2)N व 5L/6 पाक्सो एक्ट भादवि बनाम 01 बाल अपचारी थाना अहरौला पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनाँक 23.11.2023 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को शमसाबाद बरसातीगंज मोड़ के पास से समय 10.30 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

थाना- कप्तानगंज

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास– दिनांक 16.11.2023 को वादिनी मुकदमा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना कप्तानगंज पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी मंदीप गौड़ पुत्र राधेश्याम गौड़ उर्फ राधे गौड़ निवासी दुबावे थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की नाबालिग लडकी को बहला फुसला कर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 213/2023 धारा 363/366 IPC पंजीकृत हुआ। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 23.11.2023 को उ0नि0 ब्रजकान्त मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. मंदीप गौड़ पुत्र राधेश्याम गौड़ उर्फ राधे गौड़ निवासी दुबावे थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को गोपालगंज बाजार से नियमानुसार समय करीब 10.30 बजे गोपालगंज बाजार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 312/2023 धारा 376/363/366 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त - 1. मंदीप गौड़ पुत्र राधेश्याम गौड़ उर्फ राधे गौड़ निवासी दुबावे थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 ब्रजकान्त मिश्रा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
2. का0 आरक्षी शिवांश पाठक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

थाना- महराजगंज
दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण संक्षेप में –

दिनांत -22.11.23 को करीब 17.15 बजे को वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 21.11.23 की रात्रि करीब 11.30 बजे विपक्षी 1. राहुल यादव पुत्र रामनयन यादव सा0 महाजी सिंघवारा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ 2. कमलेश यादव पुत्र गुटेली व अन्य 02 अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीडिता के पति को बुलाने के बहाने घर आये और पीड़िता के पति को सोता पाकर पीड़िता को उठाकर घर के पीछे झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 368/23 धारा 376D IPC बनाम 02 नामजद व 02 अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत हुआ । जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी की विवरण –

दिनांक 23.11.23 को प्रभारी निरीक्षक महराजगंज कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल यादव पुत्र रामनयन यादव सा0 महाजी सिंघवारा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को सरदहा बाजार से समय करीब 08.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 368/23 धारा 376 डी भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- 1. मु0अ0सं0 368/23 धारा 376 डी भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त– राहुल यादव पुत्र रामनयन यादव सा0 महाजी सिंघवारा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह हे0का0 श्रीनरायन , का0 संतोष खरवार , म0का0 स्वाति दीक्षित थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया
अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 23.11.2023 को उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अचलीपुर हाइवे के पास एक व्यक्ति राकेश मद्धेशिया पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम नन्दना थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ को एक अदद देशी तमंचा 0.315 वोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 0.315 वोर के साथ समय करीब 06.25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय अतरौलिया पर मु0अ0सं0 384/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त – राकेश मद्धेशिया पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम नन्दना थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ

बरामदगी – एक अदद तमचा देशी .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 384/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 281/22 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौ वध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना अतिरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 संतोष कुमार 2. हे0का0 मनोज यादव 3. का0 शिवकुमार चौधरी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना-रौनापार
अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 23.11.2023 को व0उ0नि मधुसूदन चौरसिया मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान भीमबर नगर पुलिया के पास से एक व्यक्ति जमालुद्दीन अहमद पुत्र फैयाज अहमद ग्राम हिरनई गुल्लीगढ़ थाना- रौनापार जिला आजमगढ़ को एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 03.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 382/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त - जमालुद्दीन अहमद पुत्र फैयाज अहमद ग्राम हिरनई गुल्लीगढ़ थाना- रौनापार जिला आजमगढ़

बरामदगी- एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 382/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 382/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार आजमगढ
2. मु0अ0सं0 806/20 धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 307/473 भादवि व 207 मोटर अधिनियम थाना कोतवाली जनपद देवरिया।
3. मु0अ0सं0 887/20 धारा 31 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया मय हमराह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़